डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2002—चैत्र 15, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक 922/315/ज.सं.वि./2002.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1742/200 व्ही.आई.पी., ज.सं.वि., 2001 रायपुर दिनांक 13-8-2001 द्वारा श्री सी. पी. चौधरी, मुख्य अभियंता, हसदेव (मिनीमाता) बांगो परियोजना, बिलासपुर को मंत्रालय में संलग्न किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुये तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य अभियंता (मानिटरिंग) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के रिक्त पद पर पदस्थ करते हुये मंत्रालय, जल संसाधन विभाग (तकनीकी शाखा) में संलग्न किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक 924/315/ज.सं.वि./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. एस. भदौरिया, अधीक्षण यंत्री (सिविल) को मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतनमान रुपये 16,400-450-20,000 में पदोन्नत करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियंता, हसदेव (मिनीमाता) बांगो परियोजना बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 62/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेंहदी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117/1	0.097
योग	1	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मेंहदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 63/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-राहौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.126 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1502/1 क	0.045
	1496/1 ख	0.081
योग	2	0.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-राहौद माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 64/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चोरभट्ठी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.382 हे.

(1)	(2)
435/2	0.004
436	0.012
437	0.004
438	0.004
574/2	0.020
572/3	0.028
658/1	0.036
658/2	0.028
658/4	0.028
660/3	0.012
660/1	0.057
663/2	0.028
660	0.028
664/1	0.093
योग 14	0.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चोरभट्ठी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 65/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.244 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1563/1	0.032
1565	0.028
1567/2	0.028
498	0.040
465	0.032
1583/1	0.008
1580	0.008
613/13	0.057
473	0.036
599	0.016
497	0.016
471	0.085
601	0.089
610	0.004
472	0.073
613/27	0.028
613/20	0.049
635	0.012
478	0.024
619/19 619/17 619/22	0.004
467	0.073
463	0.097
462	0.049
613/23	0.020
434	1.029
435	0.170
436 437 386	0.097
449/2	0.040
योग 28	2.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-दुरपा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 66/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा.6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-महंतपारा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.626 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284	0.142
285/1	0.032
285/2	0.004
278/3	0.024
283/1	0.004
280/1	0.048
279/1	0.081
278/2	0.008
277/2	0.057
275/2	0.020
270/1	0.004
270/3	0.069
270/2	0.004
270/4	0.065
269	0.004
276/1	0.004
272/2	0.004
283/3	0.016
275/1	0.036
योग 19	0.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 67/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भोगहापारा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.828 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
19/1	0.093
19/2	0.028
19/4	0.141
53/5	0.049
15, 16, 17	0.012
34/1	0.141
79/1	0.040
35	0.081
60/3	0.004
41/2	0.061
59/3	0.109
58	0.065
53/1	0.008
71/1 ख	0.057
72/1 ख	0.012
71/2	0.016
75/2	0.004

(1)	(2)
75/3	0.012
76/1	0.032
77	0.036
78	0.069
79/3	0.045
79/2	0.049
1115/1	0.145
80/1	0.036
90	0.016
93	0.061
1115/2	0.004
366	0.008
354/5	0.073
354/1	0.032
354/4	0.076
365	0.008
354/6	0.073
353/2	0.028
353/1	0.036
350/1	0.020
352	0.012
354/7	0.004
354/4	0.004
350/2	0.012
350/3	
349	0.016
योग 42	1.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 68/सा-1सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बिलारी, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.123 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20	0.089
23	0.065
22	0.109
33	0.242
91	
52	0.085
51/3	0.065
837/2	0.024
51/1	0.101
837/1	0.089
51/2	0.040
50	0.045
53/1	0.105
53/2	0.040
560	0.057
561	0.109
538	0.028
539	0.344
540	
541	
542	
564/1	0.105
595/1	0.057
599	0.109
600	
820/11	0.073
820/6	0.125
820/10	0.065
830	0.057
831	0.089
833/1	0.040
833/2	0.065

	(1)	(2)
	853/2	0.040
	100/1	0.113
	100/4	0.057
	100/5	0.081
	92/1	0.089
	92/2	0.008
	92/3	0.073
	552	0.210
	559/5	0.040
	593	0.016
	829/1	0.057
	843/3	0.421
	849	0.024
	833/4	0.020
	56/2	0.061
योग	42	3.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बिलारी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 69/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेहदी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.444 हे.

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	479/2	0.198
	479/1	0.246
योग	2	0.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मेहदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 70/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.639 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1610/66	0.162
1610/63	0.061
1610/5	0.117
2691/1 ख 2695/2	0.137

(1)	(2)
2695/1	0.162
योग 5	0.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिवनी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 71/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-रोहदा, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.036
6/1 |	0.012
7/1 |	
9	0.016
173	0.093
172/2	0.012
172/1	0.028
169	0.024
168/5	0.016
168/4	0.032
165/1 |	0.101
166/1 |	
163/2 |	0.020
163/1 |	
119/5	0.004
1230	0.036
योग 13	0.430

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रोहदा डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 72/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.501 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.073
20	0.061
14/1	0.040

(1)	(2)
27	0.121
122	0.053
261/2	0.032
121	0.049
120	0.028
123/2	0.036
124	0.045
224/2	0.065
225/2	0.040
149/1	0.024
149/4	0.097
149/2	0.057
148/1	0.129
225/1	0.049
223/4	0.040
230	0.129
255/1	0.162
255/11	0.065
259/1	0.049
263/1	0.049
263/2	0.008
योग 24	1.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के अंतर्गत माइनर नं. 8 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 73/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.060 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
422/6	0.020
422/18	0.036
422/9	0.057
422/27	0.097
445/7	0.162
445/9	0.178
445/8	0.089
445/3	0.045
507/13	0.085
407/15	0.065
507/5 507/6	0.097
507/3	0.073
507/12	0.024
507/11	0.032
योग 14	1.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--लखाली डि. ब्यू. के अंतर्गत माइनर नं. 9 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 74/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.527 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1289/2	0.129
1289/3 क	0.069
1289/3 ख	0.0269
1290 1291/1 क	0.077
1290 1291/1 ख	0.077
1294/1 क	0.061
1294/2 ख	0.057
1294/4	0.053
1294/3	0.061
1411/1	0.210
1415/4 क 1415/5 क	0.146
1415/1 क	0.057
1415/ 2 क	0.089
1415/3	0.024
1415/2 ख	0.089
1415/ 2 ग	0.089
1415/1 ग	0.073
1415/1 ख	0.057
1408	0.040
योग 19	1.527

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा के चोरिया सब माइनर नं. 5 निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 75/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-कैथा प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.750 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1096	0.040
1103/2	0.040
1103/1	0.118
1102	0.085
1114	0.024
1115/1	0.069
1115/2	0.065
1129/3	0.040
1129/4	0.028
1132	0.061
1131/2	0.061
1131/1	0.049
1518	0.085
1519	0.106
1520/2	0.069
1573	0.008
1571	0.151
1526/1	0.097
1526/3	0.077
1557	0.073
1526/2	0.008
1528	0.008
1556	0.147

(1)	(2)
1555/3	0.057
1552/1	0.115
1552/2	
1538/2	0.057
1539	0.008
1551	0.103
1546	0.242
1547	
1548	
1549	
1649/1	0.151
1647	0.180.
1648	
1658	0.097
1659	
1660	0.040
1657	0.040
1666	0.049
1664	0.102
1667	
योग 36	2.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002.

क्रमांक 76/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-कैथा प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.318 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2015/3	0.097
2015/2	0.057
2015/1	0.077
2016/1	0.020
2017	0.186
2141/1	0.097
2142	0.097
2144	0.097
2145/1	0.089
2146	0.073
2157	0.121
2158/1	0.129
2166/1	0.057
2016/2	0.024
2141/2	0.097
योग 15	1.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 77/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.732 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1624	0.061
1626	0.020
1627/1	0.089
1627/2	0.065
1618/2	0.149
1618/3	0.081
1618/4	0.016
1631/1	0.004
1631/2	0.121
1631/3	0.024
1616/2	0.008
1617	0.077
1613	0.065
1612/1	0.004
1612/2	0.016
1606/1	0.109
1606/2	0.065
1606/3	0.020
1607	0.004
1602/1	0.004
1602/2	0.028
1603/1	0.036
1603/3	0.049
1586	0.077
1587/1	0.004
1584	0.065
1583/2	0.065
1582	0.142
1581	0.024
1578/1	0.085
1578/2	0.045
194/1	0.012
194/2	0.077
199/1	0.061
193	0.036
198/1	0.061
197	0.146
196/2	0.012
245	0.154
254	0.081
244/1, 244/2, 244/3	0.223
243/2	0.093
260/1, 260/2	0.154
योग 43	2.732

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 78/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-सोनादह प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.572 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1040	0.061

(1)	(2)
1039	0.105
1038/2	0.049
1043/2	0.049
1031	0.089
1022	0.057
1037	0.081
769	0.057
1032	0.057
938	0.081
1030	0.004
1034	0.004
1023	0.004
939	0.049
940/1	0.121
944	0.028
948	0.057
949	0.069
883	0.028
894	0.085
945	0.012
943	0.020
888/2	0.008
885	0.049
890	0.113
927	0.053
787	0.012
943	0.020
887	0.089
804/1	0.101
803	0.138
802	0.069
789	0.150
772	0.032
790	0.032
758	0.085
771	0.069
767	0.057
765/1	0.040
731	0.069
732	0.004
798	0.008
728	0.057
594	0.113
595	0.057
योग 44	2.572

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 79/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.221 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2488	0.008
2489	0.065
2491	0.004
2494	0.040
2495/1	0.101
2496/2	0.032
2497	0.024
2498	0.016
2501	0.008
2502/2	0.053
2502/1	0.113
2513	0.121
2514	0.065
2525	0.057
2526	0.045
2515/3	0.182

(1)	(2)
2515/1	0.008
2521	0.137
2515/4	0.012
2520/1	0.004
2520/2	0.004
2539	0.137
2522	0.004
2540/1	0.093
2546/3	0.109
2546/2	0.012
2540/2	0.016
2545	0.012
2549/1	0.008
2547/1	0.093
2548	0.020
2566	0.061
2565/1	0.121
2565	0.069
2565/3	0.081
2552	0.020
2554	0.020
2555	0.246
योग 38	2.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 80/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-सोनादह, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.632 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1069	0.097
1100	0.053
1101/2	0.057
1101/1	0.057
1102/2	0.061
1104/1	0.138
1102/1	0.040
1107/2	0.101
1107/1	0.012
1108	0.016
योग 10	0.632

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 81/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-डभरा खुर्द, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
274/3	0.295

(1)	(2)
270/2	0.085
366/3	0.016
366/2	0.008
योग 4	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 82/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.728 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
422/21	0.024
422/22	0.057
422/19	0.032
422/20	0.194
422/5	0.061
422/14	0.061
422/15	0.109
422/3	0.129
422/7	0.061
योग 9	0.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डी. ब्यू. के माइनर नं. 8 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 83/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.687 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/3	0.040
2/1	0.121
290/6	0.117
290/4	0.012
290/1	0.065
290/3	0.024
290/5	0.045
291	0.004

(1)	(2)
306	0.085
305	0.004
292/1 300/2	0.170
योग 11	0.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डी. ब्यू. के माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 84/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भवरेली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.580 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
252	0.020
253	0.012
251/2	0.016
251/1	0.012
264	0.028
268	0.012
269/1	0.020
269/2	0.020
280/1	0.008
280/3	0.012
251/3	0.016
251/4	0.016
251/5	0.016
304/2	0.101
304/1	0.146
304/3	0.125
योग 16	0.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली वितरक नहर के माइनर नं. 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 85/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
264/3	0.150

(1)	(2)
358/2	0.012
358/1	0.057
357/2	0.057
357/1, 356	0.207
योग 5	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 8 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 86/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.413 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1096	0.024
1094	0.008
1093	0.127
1092	0.020
1090	0.093
1091	0.032
1098/2	0.028
1086	0.024
1085/1, 1085/2, 1085/3	0.004
1087, 1088	0.053
योग 10	0.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 87/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री सुकुल, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.291 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
303	0.089
304/1	0.089

(1)	(2)
305/1	0.077
305/2, 301/1	0.036
कुल 4	0.291

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 88/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-चाम्पा
   (ग) नगर/ग्राम-देवरानी, प. ह. नं. 21
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.960 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1193/1	0.198
1194, 1195	0.121
1196, 1197/1	0.280
1198/1	0.069
1162/1	0.065
1162/2	0.065
1199/1	0.008
1200/1	0.008
1200/2	0.008
1159/1	0.069
1159/2	0.069
योग 11	0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-विर्रा डि. व्यू. के माइनर नं. 5 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 89/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-चाम्पा
   (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.958 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1668/1, 1670/1	0.097
1723	0.170
1718	0.028

(1)	(2)
1719	0.032
1717	0.049
1716	0.024
1711	0.093
1712	0.024
1709/1 1703/2 1703/3	0.287
1702/2	0.154
योग 10	0.958

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 5 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 90/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-तालदेवरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.688 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1618/1	0.053
1618/2	0.069
1614/1 1620/1	0.045
1614/3 1620/3	0.061
1614/2 1620/2	0.049
1614/4 1620/4	0.085
1369	0.012
1621 1622 1623 1624 1625	0.020
1424	0.008
1621 1422 1423	0.053
1418	0.008
1411 1412 1413 1414 1417	0.121
1408	0.012
1409/2 1409/3	0.008
1375	0.008
1367	0.032
1368	0.012
1215 1416	0.032
योग 18	0.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 91/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-तालदेवरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.514 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2633	0.101
2632/2, 2632/3, 2632/4	0.117
1031	0.024
2676	0.101
2681	0.093
2697	0.045
2698/1	0.065
2698/2	0.049
2698/4	0.061
2731/1	0.008
2699/1	0.045
2656/1	0.016
2718	0.049
2719/1, 2719/2	0.121
2845/1	0.073
2725	0.008
2726	0.004
2727	0.008
2728	0.032
2732	0.016
1033	0.004
1034	0.008
2729	0.004
2730, 2788	0.020
2734	0.061
2735	0.012
2789	0.008
2790	0.121
2791/1, 2791/2	0.016
2792	0.032
2793	0.008
2794	0.065
1045	0.032
1043	0.004
1032, 1029	0.045
1047/1	0.057
1038/1	0.004
1038/2	0.020
1037	0.024
1030	0.008
1052	0.049
1053/1	0.020
1053/2	0.020
1054	0.024
1055	0.016
1056	0.024
983	0.012
1057	0.020
1058	0.016
1062	0.004
1059	0.016
1060	0.012
1061	0.008
934/1, 934/2	0.069
748	0.057
937	0.061
938	0.004
941	0.024
940	0.008

(1)	(2)
944	0.061
957	0.004
959	0.045
960	0.004
943	0.061
945	0.004
961	0.032
750	0.020
987	0.121
2733	0.020
747	0.077
749	
2795	0.012
योग 71	2.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 92/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टोटिलाडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.697 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
440/2	0.032
446/8	0.032
446/15	0.069
555	0.073
442/4	0.049
442/2	0.089
445	0.040
448	0.036
547	0.061
546	0.126
446/3	0.138
446/10	0.081
446/12	0.069
446/16	0.105
564	0.101
554	
563	0.045
549/1	0.061
549/3,4	0.036
537	0.089
545	0.065
544	0.073
543/1	0.138
538	0.089
योग 23	1.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-जूडगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 93/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्

1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प.ह.नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.377 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.081
28/2	0.049
28/1	0.049
2435	0.008
2389/1	0.150
2388	0.012
2384	0.036
2385	0.012
2383	0.057
2396	0.016
2397/1	0.045
2397/2	0.045
2398	0.040
2422/1	0.036
2422/2	0.036
2421/1	0.134
2421/2	
2421/3	
2414	0.008
2415	0.012
2418	0.061
2417	0.089
2776	0.097
2778/1	0.077
2778/2	0.012
2779	0.008
2780/2	0.049
2780/3	
2783/1	0.061
2783/2	
2789/2	0.008
2791/1	0.089
2791/2	
2791/3	
2791/4	
2791/5	
योग 28	1.377

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 94/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.421 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2439	0.012
2445	0.008
2461/1	0.008
2437	0.024
2440	0.053
4242	0.085
2443	0.045
2446/1	0.012
2446/2	0.089
2477	0.057
2476	0.053
2480/1 2480/2	0.162
2483	0.134
2489	0.016
2497	0.008
2500/1	0.101
2506	0.053
2507	0.073
2505	0.012
2414	0.008
2415	0.004
2512	0.125
2498	0.097
2511/1 2511/3	0.077
2511/4 2511/2	0.077
2513/1 2513/2 2513/3	0.012
2508	0.012
2444	0.004
योग 28	1.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 95/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.277 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1719/1	0.061
1719/2	0.061
1718/1	0.081
1718/2	0.081
1790	0.008
1709/2	0.073
1708/1	0.073
1707/2	0.024
1706/2	0.036
1707/1	0.049
1706/1	0.040
1702	0.203
1704	0.049
1705	0.028
1703/1	0.024
1703/3	0.122
1681/2	0.122
1681/3	0.142
योग 18	1.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 96/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.461 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
230	0.020
260	
231	
263/3	
227/1	0.008
164	0.040
165	0.089
166/1	0.065
166/2	0.069
177/1	0.126
177/2 क	0.057
178/1	0.089
178/2	0.138
179/1	0.077
179/2	0.077
228/1	0.048
229/2	0.012
228/2	0.048
229/1	0.036
229/3	0.036
224/1	0.028
231/1	
224/2	0.028
231/2	
222	0.089
223/1	0.105
223/2	
221	0.004
219	0.085
194/1	0.170
194/2	
195	0.121
196/1	
210	0.061
196/2	0.048
212	0.016
200/1	0.105
200/2	
200/3	
207	0.012
206/1	0.073
206/2	
206/3	
206/4	0.020
345	0.016
449	0.081
450	0.097
448	0.008
451/1	0.032
451/2	0.057
453/2	0.113
455/2	0.057
योग 40	2.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 97/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.090 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/1	0.081
46/2	0.057
45/2	0.057
45/1	0.053
43/2	0.146
42/2	0.004
36/1	
35/2	0.008
35/1	0.016
36/2	0.102
32/1	0.069
32/2	0.065
31/1	
31/2	0.081
30/1	0.122
30/2	
14	0.243
13/2	0.150
8/1	0.004
11	0.114
10	0.061
12	0.063
153	0.061
154/2	0.081
154/1	0.089
157	0.122
158	0.036
163/1	0.073
163/2	0.073
164/1	0.049
योग 27	2.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2078/2	0.057
2078/3	0.057
2078/1	0.057

(1)	(2)
2081	0.154
2082/4	0.093
2069/2	0.032
2069/1	0.028
2071/2	0.045
2070	0.049
2071/1	
2062/2	0.081
2039/2	0.089
2040/5	0.028
2040/2	0.012
2040/1	0.012
2040/6	0.036
योग 15	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चिस्दा माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 99/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमोदा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.283
2	0.093
8/2	0.081
8/1	0.041
5/2	0.101
3/1	0.053
योग 6	0.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नकटाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 100/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.342 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
976	0.028
975/1	0.004

(1)	(2)
975/2	0.069
975/3	0.016
975/4	0.081
974	0.061
967/1	0.069
968	0.081
972	0.004
969/9	0.016
970/1	0.101
970/2	
971	0.061
972	0.061
1010	0.053
1012/1	0.036
1009	0.065
1007	0.081
1012	0.016
1022	0.036
1027	0.032
1023	0.089
1024	0.032
1041	0.081
1042/1	0.061
1042/2	0.012
1039	0.097
1038	0.105
1119	0.004
1114	0.040
1115	0.020
1116	0.004
1175	0.028
1177	0.036
1176	0.198
1180/3	0.405
1180/5	0.308
1185	0.012
1180/2	0.097
1180/1	0.283
1249	0.154
1251/1	0.162
1252/1	
1253/1	
1246	0.036
1425	0.295
1428/1	0.134
1420/2	0.036
1431	0.113
1430	0.032
1432	0.073
1633/1	0.040
1433/2	0.040
1633	0.016
1434/1	0.073
1434/2	0.052
1627/3	0.097
1631	0.081
1236	0.049
1002	0.016
योग 57	4.342

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मल्दाकला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 101/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-डोमाडीह, प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.916 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
591	0.032
592 606/2	0.020
595/4	0.061
569/2	0.040
594	0.162
600/4	0.053
600/5	0.061
600/3	0.004
617	0.053
569/1	0.036
570	0.008
565	0.113
564/1	0.109
619/1	0.012
563	0.105
562/2	0.105
562/3	0.016
561/2	0.109
556/1	0.057
556/2	0.012
554 555	0.129
14/2	0.109
25/1 26/1	0.049
25/2 26/2	0.138
25/3 26/3	0.020
29/1	0.134
30	0.081
31	0.008
75/1	0.040
75/2	0.040
योग 30	1.916

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डोमाडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 102/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.319 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
359	0.073
358/1	0.114
358/2	0.028
360/2	0.008
360/3	0.044
358/4	0.008
372/3	0.167
372/2	0.105
336	0.024
372/1	0.057
328	0.024
300	0.105
327	0.105
326	0.020
301	0.061
302/1	0.081
302/2	0.004
293	0.004
371/1	0.008
371/2	0.040
332/2	0.122
332/3	0.089

	(1)	(2)
	331	0.028
योग	23	1.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनादह माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 103/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं.30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.359 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	555/2	0.012
	556/1	0.032
	544	0.057
	543	0.020
	542	0.073
	537/1 ख	0.089
	547	0.012
	548/1	0.081
	548/2	0.040
	548/3	0.044
	549/1	0.016
	550/1	0.077
	853/3	0.065
	854	0.089
	852/1	0.012
	851	0.073
	850/1	0.081
	850/2	0.036
	849/1	0.008
	615/2	0.008
	615/4	0.028
	616/1	0.105
	617/1	
	617/2	
	828/1	0.097
	828/2	0.057
	828/3	0.012
	827/1	0.061
	827/2	0.073
	694/1	0.146
	694/2	
	691/2	0.020
	697/2	0.130
	697/1	0.020
	695/1	0.061
	695/2	0.061
	822/1	0.142
	820/1	0.146
	818/2	0.032
	811/2	0.020
	819	0.004
	818/1	0.085
	899	0.134
योग	40	2.359

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-परसदा माइनर (हसौद वितरक नहर के) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 104/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं.30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.171 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
545	0.040
555/1	0.012
559/1	0.118
571/1	0.138
579/1	0.061
573/2	0.102
573/1	0.089
581/1	0.073
582	0.016
580/6	0.012
580/3	0.118
596	0.089
601	0.012
597/1, 598/2	0.040
595	0.012
600/1	0.028
600/2	0.093
602/2	0.065
602/3	0.053
योग 19	1.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नकटाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 105/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्री सुकुल, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.674 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.065
13	0.061
124/1	0.263
19/1	0.040
12	0.016
50	0.202
53	0.032
55	0.135
49	0.004
43	0.081
42	0.053
44/3	0.016
44/2	0.081

(1)	(2)
60/4 125/3 60/1 122/1	0.186
60/2 122/3	0.186
124/3	0.295
124/2 485	0.236
123/5 124/4 125/2	0.266
471	0.194
123/4 124/6 123/6 124/8	0.262
योग 20	2.674

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 106/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-झरप, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.315 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.020
49/1 49/2 49/3 49/4	0.032
51	0.101
52/1	0.122
54	0.032
55	0.008
योग 6	0.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 107/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-मुड़पार प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
601/1	0.032

(1)	(2)
601/2	0.154
602/2	0.008
योग 3	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-हसौद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 108/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धमनी, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.896 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
985	0.097
986	0.125
987/1	0.024
988/3	0.162
988/4	0.057
996/2	0.077
998	0.138
1000/1	0.040
1000/2	0.049
1004	0.020
1005	0.061
1001/1	0.097
1002	0.049
1003	0.069
1007/3 ख	0.053
1008	0.150
1010	0.125
1009	0.077
1012/1	0.061
1012/2	0.045
1013/1 क	0.077
1019	0.134
1006/1	0.008
1006/2	0.101
योग 24	1.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नरियरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 109/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.203 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334/1	0.004
334/2	0.004
335/1	0.004
336	0.061
337/1	0.012
340	0.012
341	
339/1	0.106
योग 7	0.203

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक के नरियरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 110/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भेडीकोना प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.920 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268/1	0.097
923/2, 725	0.004
767	0.150
261	0.134
750/1, 267	0.061
262/1	0.024
262/2	0.008
263	0.065
265	0.004
262/3	0.004
260/1	0.077
281	0.020
432	0.089
440/2	0.081
619/2, 618/2	0.008
607	0.061
617	0.032
608	0.053
609, 693/1	0.057
610	0.012
618/1	0.024
619/1	
620, 626/1	0.032
433	0.016
440/1	0.004
603	0.053
434, 447	0.081
456/2, 656/1	0.053
436/1	0.016
436/2	0.061
437	0.065
622	0.065
623/1	0.040
623/2	0.040
651/2	0.040
602/1	0.057
602/2	0.081

(1)	(2)
604/1	0.053
653	0.158
654	0.170
657	
770	0.146
655/2	0.243
693/2	0.053
723/1	
695/1	0.069
722/2	
722/3	0.085
723/3	
722/5	0.044
722/6	
740	
742/2	0.053
724	0.032
737	0.073
722/4	0.138
738/1,2,3,4,5	0.138
739	0.032
743/1	0.077
750/2	0.085
750/3	
764/2	0.004
765/1	0.097
765/2	0.020
765/3	0.130
786	
766	0.215
778/1	0.008
778/3	0.004
789	0.065
790/1	0.061
790/2	0.036
योग 62	3.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नरियरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा(प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 111/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.677 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2223	0.073
2225	0.024
2226/1	0.024
2228/1	0.122
2228/2	0.065
2230	0.061
2234	0.101
2236	0.081
2235/1	0.065
2235/2	0.061
योग 10	0.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-अमोदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 112/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धमनी, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.944 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	286	0.040
	287	0.016
	290	0.122
	291/1	0.044
	291/2	0.057
	296/1	0.093
	296/2	0.053
	300	0.138
	301/2	0.069
	296/3	0.032
	299	0.101
	350	0.061
	351	0.118
योग	13	0.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-नकटाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 113/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.221 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	394/2	0.016
	394/1	0.024
	394/2	0.012
	393/5	0.028
	393/6	0.032
	395/2	0.032
	396	0.028
	397	0.049
योग	8	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 114/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि

की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.069 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.049
25/5	0.028
383	0.053
384/11	0.065
384/4	0.049
384/3	0.045
385/1	0.053
416/2 क	0.182
417	0.101
416/2 ख	0.101
401/2	0.028
412/4	0.008
416/7, 418/6, 419/6, 420/6	0.121
412/6	0.069
401/3	0.097
384/2	0.020
योग 16	1.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. के माइनर नं. 10 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 115/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.880 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1182	0.020
1183	0.036
1185	0.061
1181	0.061
1187	0.081
1173/1	0.028
1172/2	0.020
1171	0.020
1105	0.065
1439	0.093
1111	0.061
1110	0.061
1446	0.045
1115	0.150
1083/1	0.146
1099/1	0.016
1100	0.012
1083/11	0.166
1447	0.004
1083/12	0.065
1083/13	0.085
1083/9	0.020
1083/15	0.093

(1)	(2)
1083/6	0.073
1083/2	0.073
1083/16	0.020
1083/14	0.020
1083/8	0.036
1076/3	0.057
1083/8	0.045
1077	0.045
1075	0.049
1434	0.093
1073	0.045
1076/1	0.045
1203	0.113
1204/2	0.028
1204/1	0.045
1204	0.028
1207/2	0.081
1208	0.081
1209	0.065
1210	0.081
1211	0.065
1212	0.040
1217	0.061
1433/2	0.077
1433/1	0.032
1435/1	0.016
1435/2	0.016
1435/3	0.016
1437	0.020
1436/1	0.081
1438	0.113
1440	0.081
1441	0.101
1442	0.093
1443/3	0.016
1444	0.036
1445/1	0.154
1074/1, 5	0.016
1448	0.202
1449/1	0.036
1445/2	0.093
1451/2	0.032
योग 67	3.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक 116/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-कोटेतरा प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.499 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
83	0.008
82/4	0.036
82/1	0.073
81/3	0.539
82/5	0.028
81/4	0.040
82/2	0.109
65/4, 81/2	0.316
81/9	0.020
71	0.247
267	0.198
73/2	0.004
70/4	0.024
320	0.101
311	0.036

(1)	(2)
312	0.134
314	0.004
310/2	0.004
310/3	0.138
370/3	0.121
369/4	0.020
369/5	0.028
270/2	0.004
271	0.178
283	0.129
282	0.008
280	0.049
287	0.101
286	0.247
268/2	0.008
264/1	0.231
364/2	0.097
264/3	0.073
264/10	0.073
264/9	0.073
योग 35	3.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुरलीडीह डिस्ट्री-ब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 2772/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ीकोना/चुराघांटा प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
ग्राम भेड़ीकोना	
72/3	0.18
74/3	0.07
77/1	0.37
82	1.12
101	0.25
102/7	0.50
77/2	0.19
77/4	0.37
76	0.16
99/1	0.37
83/1	0.07
83/2	0.05
74/4	0.21
योग 13	3.91
ग्राम-चुराघांटा	
395/1	0.09
396/1	0.53
415/1	0.36
415/2	0.16
416/2	0.21
417/1	0.10
योग 6	1.45
कुल योग 19	5.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भेड़ीकोना जलाशय के अंतर्गत बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक 258/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी विशाल प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.056 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
724/1	0.073
726	0.121
663	0.113
724/3	0.049
641/1	0.057
727	0.470
658/2	0.085
658/3	0.040
643	0.101
662	0.028
641/2	0.057
642	0.194
643/1	0.243
725/1	0.077
640	0.227
658/1	0.121
योग 15	2.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत के अंतर्गत पंप हाऊस निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 मार्च 2002

क्रमांक 5097/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सपोस प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1161/1	0.76
1161/2	0.38
योग 2	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कोसमंदा जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 16602/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
379	0.30
योग	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-छुरी जलाशय के अंतर्गत स्लीप चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 16603/भू-अर्जन/3/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गुरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/1 क	0.24
24/1 ख	0.14
24/1 ख	0.38
24/1 क	0.20
22/2	0.15
22/1 ख	0.04
22/1 क	0.20
99/1	0.42
20/1	0.70
20/2	0.10
08/4	0.04
08/5	0.11
08/3	0.20
18/2	0.28
18/5	0.27
18/6	0.21
08/8	0.13
09/1	0.34
11	0.21
12	0.04
योग	4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गुरसिया व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 16604/भू-अर्जन/4/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
5	0.42
7	0.35
8	0.52
9	0.40
10	0.51
11	1.02
12	1.19
216	0.26
217	0.35
218	0.50
215	0.20
213	0.23
योग	5.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गोपालपुर जलाशय के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 16605/भू-अर्जन/1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सेन्द्रीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
70/8	3.00
70/7	0.40
योग	3.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-सेन्द्रीपाली व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 61.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखरीखुर्द, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.119 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/10	0.234
1/11 ख	0.008
1/11 क	0.113
1/12 ख	0.040
1/2	0.186
35/1	0.032
34	0.065
28	0.061
27/5	0.097
26/24	0.101
26/22	0.158
23	0.004
19	0.008
17	0.012
योग 14	1.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बघौदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 62.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाँठा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
216	0.317
योग 1	0.316

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-उमरेली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 63.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-ढिटोरी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
18/1	0.061

(1)	(2)
19	0.016
20	0.045
22/2	0.028
23	0.057
24	0.057
25	0.020
27	0.032
43	0.036
138/1	0.016
136	0.162
132/1	0.113
209	0.324
207	0.267
205	0.016
219/1	0.271
220	0.057
221	0.097
228	0.340
227	0.016
226	0.117
225/2	0.174
229	0.032
230	0.053
231	0.081
293	0.222
191	0.061
290	0.214
284	0.376
283	0.101
282	0.045
239/2	0.141
238	0.121
242	0.190
244	0.194
246/1	0.287
249	0.234
259	0.020
280	0.040
योग 39	4.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कर्रा पाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 64.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.673 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5	0.218
4/5	0.020
4/8	0.061
4/16	0.101
4/17	0.020
4/9	0.141
4/7	0.121
20	0.089
22	0.057
21	0.024
29	0.028
201/1	0.405
201/5	0.045
201/7	0.028
193/1	0.053
194	0.028
195	0.105
184/1	0.032
184/2	0.028
196/1	0.069
योग 20	1.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करीपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 65.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरेली, पं. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.400 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	312	0.053
	311	0.028
	310/7	0.061
	310/6	0.028
	310/4	0.036
	310/5	
	368/1	0.113
	368/2	0.081
योग	7	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 66.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्रा प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	198	0.073
	197	0.008
	191	0.145
	170/1	0.194
	170/2	0.040
	173/3	0.004
	171	0.129
	172	0.153
	175/2	0.036
	175/1	0.101
	176	0.101
	179	0.053
	178	
	180	0.113
	181	0.049
योग	14	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान का निरीक्षण) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 67.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमगांव, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
273/5	0.053
273/3	0.040
273/2	0.036
211	0.069
207/1	0.004
273/4	0.040
205/2	0.057
255/1	0.040
275/2	0.081
275/1	0.081
277	0.101
278	0.032
279/1	0.040
279/2	0.004
280	0.101
214	0.105
212/1	0.032
207/3	0.032
207/2	0.053
205/1	0.053
202	0.117
201/2	
199	0.020
272	0.020
263/1	0.283
264/2	0.057
योग 25	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 68.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्रा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.567 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.134
1/2	0.085
4	0.008
30	0.012
3	0.101
2	0.206
29	0.129
27	0.089
33	0.069
68	0.036

(1)	(2)
67	0.089
69	0.004
63	0.069
93/1	0.081
65	0.049
97	0.016
99	0.016
28	0.101
102	0.032
103/1	0.053
103/3	0.028
104	0.004
359/1	0.179
359/2	0.179
360	0.101
375/1	0.134
371	0.053
375/2	0.040
381	0.004
382	0.077
383	0.004
384	0.069
394	0.012
395	0.061
398	0.085
399	0.040
369	0.049
377	0.069
योग 38	2.567

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 69.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.813 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
470/1	0.040
463/3	0.040
456/1	0.121
457/3	0.053
457/4	0.032
458	0.125
660	0.117
659	0.032
658/1	0.150
648/5	0.016
648/6	0.024
648/8	0.020
648/7	0.040
654/1	0.004
652	0.101
672	0.061
671	0.020
690	0.210
689/2	0.061
695	0.040
696/1	0.134
701	0.178
696/2	0.040
715/2	0.045

	(1)	(2)
	716/1	0.008
	716/2	0.008
	717	0.081
	721/1	0.012
योग	28	1.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-टुण्ड्रा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 70.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.878 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	311/1 311/2	0.020
	318/2	0.040
	318/4	0.053
	318/1 318/3	0.061
	321/1	0.235
	334/2	0.028
	333	0.028
	344/1	0.049
	342	0.028
	339	0.049
	343	0.049
	338	0.061
	337	0.073
	340	0.012
	334/1	0.101
योग	8	0.878

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-महुआडीह माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 71.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-महुआडीह, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262	0.040
259	0.129
220/2	0.008

(1)	(2)
256	0.012
214	0.073
215/1	
257	0.049
218/2	0.020
230/1	0.049
230/2	0.008
228	0.020
227/2	0.032
224	0.040
223/1	0.032
219	0.053
213/1	0.020
194	0.049
195	0.020
190/1	0.121
191/1	
196/1	
147/1	0.101
147/2	0.032
166/1	0.073
165	0.020
150/1	0.036
151	0.016
127	0.093
152	
153	
113	0.008
117	
116	0.109
118	
128	
योग 27	1.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-महुआडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 72.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/4	0.024
19/5	0.024
16/1	0.004
16/2	0.012
योग 4	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सराईपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 73.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-खरवानी, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.399 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
368/1,3	0.032
369	0.016
367	0.219
359/1	0.214
362	0.150
363/1	0.028
361	0.053
387	0.194
390/2	0.101
666/1	0.142
679/2	0.081
666/2	0.081
679/1	0.073
663/2	0.486
675/3	0.121
675/1	0.081
675/5	0.105
675/4	0.008
677	0.028
678/1	0.194
योग 20	2.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सराईपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 74.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-खरवानी, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/9	0.081
134/1	0.073
134/8	0.073
134/7	0.073
134/4	0.113
167	0.134
169	0.020
170	0.109
172	0.073
353/2, 354	0.121
356/3	0.028
395	0.210
396	0.016
397/2	0.061
662	0.032
129/3	0.032
353/1	0.053
योग 17	1.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खरवानी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 75.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-महुआडीह, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.885 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
270/1	0.012
270/2	0.093
271	0.040
239/5 239/6	0.049
272	0.053
273	0.020
253	0.049
235/1	0.065
252/1 क	0.018
252/2	0.049
235/2	0.069
251/1 ख	0.032
238/3	0.036
238/4	0.036
240/1	0.024
240/2	0.049
247/1	0.040
247/2 287	0.040
241/2	0.008
245/1	0.093
244/1	0.020
योग 21	0.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खरवानी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 76.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
678	0.036
679	0.089
680	0.024
711/1	0.032
713	0.040
681/1	0.008
711/2	0.032
714	0.020
717	0.020
718/2	0.073
720	0.016
योग 11	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुकुन्दपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 दिसम्बर 2001

क्रमांक 76.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	678	0.036
	679	0.089
	680	0.024
	711/1	0.032
	713	0.040
	681/1	0.008
	711/2	0.032
	714	0.020
	717	0.020
	718/2	0.073
	720	0.016
योग	11	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुकुन्दपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 77.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूडीह, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.020
247/2	0.004
246	0.004
216/2	0.077
114	0.032
216/6	0.057
244	0.085
242	0.061
241	0.053
239/2, 239/3	0.040
238	0.028
240	0.020
237	0.004
268	0.020
235, 236	0.101
239/1	0.040
169/1	0.069
233, 234	0.040
232	0.012
175	0.036
174	0.032

(1)	(2)
176/1	0.049
173	0.020
179	0.053
170/2	0.036
107/1	0.020
158	0.004
116/1	0.073
116/2	0.109
योग 29	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुकुन्दपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 78.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.492 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
287/1	0.016
289	0.004
290/2	0.006
290/3	0.032
290/4	0.004
291/1	0.004
263/1	0.089
264	0.004
251/2	0.020
252	0.057
260	0.028
259/1	0.028
261	0.081
258	0.032
255	0.085
योग 13	0.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मुकुन्दपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 79.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़ियापाली, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
761/1	0.324

(1)	(2)
769	0.053
791	0.028
770	0.040
798	0.004
790	0.049
812	0.049
770	0.036
775	0.053
811/1 811/2	0.174
781	0.049
793	0.073
809	0.004
797/1	0.049
813	0.032
817	0.142
योग 16	1.159

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 80.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़ियापाली, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162/1	0.040
163	0.012
योग 2	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 81.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-खरवानी, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
137	0.020
138/1	0.081
139	0.016
143	0.012
140	0.028
141	0.045
142	0.032
157	0.016

(1)	(2)
158	0.462
164/2	0.045
163/1	0.049
163/2	0.049
162/1	0.008
368/1	0.077
368/3	
369	0.089
372/1	0.150
366	0.012
365	0.093
364	0.081
388	0.271
668/2	0.170
668/1	0.105
669	0.380
670/2	
693/1	0.271
693/2	0.053
योग 25	2.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरेली, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.109
50	0.069
57	0.065
58	0.057
59/2	0.028
60	0.008
61	0.057
62	0.32
95/1	0.036
98/1	
97	0.008
योग 10	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 83.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-कोरबा
(ग) नगर/ग्राम-कुरूडीह, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.725 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
488/1	0.032
488/2	0.008
500/1	0.061
500/3	0.045
500/2	0.081
498/1 क	0.036
493	0.012
494	0.077
495	0.024
250/1	0.057
250/3	0.081
250/2	0.081
249/1	0.081
249/2	0.049
योग 14	0.725

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 84.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-कोरबा
(ग) नगर/ग्राम-सोहागपुर, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.811 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
562/1	0.049
563	0.162
566	0.085
570	0.069
258	0.065
571	0.036
486	0.073
481	0.032
471	0.012
478	0.065
569/1	0.069
569/2	0.085
576/1, 576/2	0.113
489/3	0.077
488	0.032
490/3	0.053
572, 575	0.049
489/1	0.020
489/2	0.129
465/2	0.081
464/1	0.097
485	0.036
482	0.028
479/1	0.040
484	0.028
480	0.036
487/1	0.081
290/4	0.049
477	0.008
463/2, 463/3	0.081

(1)	(2)
476/2	0.008
461/2	0.020
462	0.032
470/1	0.134
470/2	0.085
463/1	0.008
464/2	0.008
456/2	0.057
256	0.150
257	0.089
447	
448	
259/2	0.065
260	0.077
261	0.073
262	0.073
287/1	0.109
287/2	0.081
345/3	0.049
286	0.113
305/1	0.154
309	
310	
311/1	
311/2	
312	
318/2	
1313/1	0.040
314	0.093
315	
318/1	0.012
318/3	
317	0.012
316	0.040
345/2	0.045
345/1	0.049
347/2	0.016
346	0.020
347/1	0.121
347/3	
348	0.138
योग 60	3.811

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 85.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-कोरबा
(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.805 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128	0.061
152	0.004
132	0.045
173	0.093
133	0.016
134	0.085
151	0.012
156/2	0.069
156/1	0.057
155	0.032
158	0.129
176	0.008
177	0.097
181	0.020
180	0.032
179	0.045
योग 16	0.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

क्रमांक 86.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-महुआडीह, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.003 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268/2	0.040
268/1	0.073
269/1	0.081
250	0.073
270/2	0.089
275/2	0.085
276/2	0.093
251/2	0.061
277	0.020
249	0.032
247/5	0.053
247/6, 248	0.016
247/2, 287	0.028
288	0.012
286	0.036
293, 294	0.061
292	0.049
291	0.093
297/2	0.008
योग 19	1.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोहागपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 1644/भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
733/3	0.33
730	0.06
729	0.04
727/3	0.08
727/2	0.04
728	0.07

(1)	(2)
196	0.10
197/1	0.04
200	0.11
197/2	0.05
195	0.17
201/2	0.02
191/1	0.07
733/5	0.12
751	0.45
योग 15	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-हरदी नेवसा जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 1645/भू-अर्जन/2/अ-82/99-2000/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.46 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
23/1	2.50
24	0.46
25/2	0.50
203/1 क/2	0.60
23/2	0.40
योग 5	4.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बम्हनीकोना जलाशय के शीर्षकार्य

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 1646/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-धमनागुड़ी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.37 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
391/2	3.00
391/3	3.00
349/1 क	0.07
390	1.93
390	0.09
450	0.88
349/1	2.00
317/7	4.00

(1)	(2)
317/1	2.82
413/1	1.18
429/6	2.66
423	1.34
413/1	4.00
429/1 ग	4.00
413/1	1.17
427/1	0.83
390	2.00
423/2	2.00
349/2	0.40
योग 19	37.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सिंचाई कोरबा को केहरानाला जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-फरसवानी, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1531/1	0.040
1532/3	0.073
1537/1	0.190
1537/5	
1537/9	
योग 3	0.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बालपुर माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.939 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
651	0.061
656	0.081
741	0.004
652	0.049
654	0.028
657	0.004
658	0.053

(1)	(2)
660	0.036
661	0.101
664/1	0.028
664/2	0.028
673	0.081
672	0.004
678	0.008
679	0.049
650/1	0.004
680	0.081
684/1	0.081
742	0.061
743	0.008
740	0.049
646	0.040
योग 22	0.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डेबियर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.763 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
83/6	0.028
83/3	0.101
93/1, 94, 95/2	0.020
83/2, 93/3	0.061
91	0.065
92	0.049
90/1	0.061
90/2, 103	0.008
87/1 घ	0.049
87/1 ख, 88/1	0.073
106/1	0.032
106/4	0.020
71/6	0.020
107/1	0.040
107/3	0.032
89/2	0.040
107/2	0.024
108, 109	0.040
योग 18	0.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डेबियर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-रोगदा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
493/1	0.032
493/2	0.016
494/1	0.036
494/2	0.061
योग 4	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डेबियर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-मुकुन्दपुर, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.824 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.008
41	0.040
19/1	0.065
19/2	0.049
20/2	0.036
71/11	0.024
42/2	0.057
30/2 31/1 ख	0.065
31/2	0.032
43/1	0.040
43/4	0.024
43/5	0.040
74/1	0.040
71/2 72/1	0.081
87/1 ख 82/1	0.223
योग 15	0.824

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डेबियर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-तरदा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
638/1	0.073
638/2	0.121
643/3	0.004
438/6	0.162
638/8	0.061
438/9	0.089
639/1	0.049
641/1	0.040
643/1	0.049
643/6	0.040
643/7	0.101
643/9	
योग 11	0.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कथरीमाल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरवा

(ग) नगर/ग्राम-कनकी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.706 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
625	0.016
231	0.089
232	0.113
233	
194/2	0.150
235	0.040
234	0.032
248	
227	0.020
996	0.024
294	0.008
195	0.162
250/1	0.012
600/2	0.020
642/1	0.040
191/2	0.028
191/1	0.138
189	0.069
424/1	0.049
190	0.045
407/2	0.085
184/1	0.121
184/2	0.008
398	0.057
616	0.020
182	0.202
427/1	0.012
617	0.081
426/1	0.049
183/1	0.012
181	0.040
399/1	0.012
647	0.020
644	0.028
400	0.105
496/1	0.089
401/1	0.129
620	0.020
621	0.121
618/2	0.032

(1)	(2)
517/1	0.040
516/1	0.032
407/1	0.032
406/1	0.243
417/2	0.040
513/6 514/2	0.008
418	0.028
425/1	0.097
424/2	0.040
641	0.049
553/1	0.073
417/1	0.012
513/2 514/1	0.081
618/1	0.049
619	0.028
640/2	0.053
512/3	0.012
495	0.024
648	0.028
492	0.020
493	0.024
494	0.020
491/1	0.008
614	0.008
609/3	0.049
642/2	0.040
643	0.032
661	0.146
663	0.040
408	0.016
415/1 415/2	0.016
424/3	0.020
योग 70	3.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कथरीमाल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-सोनपुरी, प. ह. नं. 54

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
504/2	0.028
505	0.053
506	0.032
551/3	0.016
508	0.049
548 549/1	0.028
525/1	0.024
526/1	0.008
527/1	0.004
525/2	0.024
526/2	0.008
528/1 ख	0.012
527/2	0.004
542	0.040
540 541	0.028
528/3	0.053
528/6	0.053
528/5	0.020
योग 18	0.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोनपुरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-बैगापाली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.561 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
217	0.028
15	0.053
28	0.032
2/6	0.032
1/3	
14	0.069
11	0.012
2/2	0.024
27	0.032
1/4	0.081
17	
16	0.016
48	
21	
5	0.178
30/1	0.004
योग 12	0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कनबेरी, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
186/3	0.024
158	0.089
159	
156/2	
146/1	0.162
182	0.081
148	0.101
151	0.162
152	
153	
166/1	0.061
168/21	
168/2 ख	0.016
166/2	0.020
168/22	0.150
168/2 क	
169	

(1)	(2)
168/5	0.004
168/6	0.008
168/7	0.016
168/8	0.024
146/2	0.243
137/1 ग	
145/2	
147	
149/2	
150/2	
योग 15	1.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भलपहरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-कथरीमाल, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.578 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
871	0.049
872	0.028
1091	0.121
873	0.081
874	
875/1	0.105
875/2	0.004
869/1	0.004
1006	0.146
1002	0.020
869/2	0.089
394/6	0.020
860	0.129
928/1	0.020
859/2	0.081
859/1	0.097
395	0.016
930	0.101
1112/1	0.113
394/4	0.142
929/1	0.008
926/1	0.093
1007/1	0.049
1007/2	0.097
411/4	0.016
1004	0.121
1005	0.129
1005/1	0.081
1003	0.243
1089	0.008
1090	0.012
1098	0.020
1099	0.032
1092	0.008
1112/1	0.109
1113	
406/4	0.032
401/1	0.020
1097/1	0.097
1097/2	0.032
1100	0.032
1101	0.049
1104	0.040
1103/2	0.049

(1)	(2)
391/3	0.101
1111	0.020
408	0.057
407	0.004
405	0.029
406/1	0.016
401/2	0.138
391/1	0.073
394/1	0.117
394/5	0.004
394/3	0.113
391/1	0.057
406/2	0.057
406/3	0.049
योग 56	3.578

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कथरीमाल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002

क्रमांक 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-तरदा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.570 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
693/3 693/4	0.012
690	0.012
691/1	0.028
724/1	0.049
725 726/1	0.154
718 179	0.040
724/2	0.085
717/1	0.081
717/2	0.028
724/2	0.081
योग 10	0.570

(2) सार्वजनकि प्रयोजत्र के लिए आवश्यकता है-बैगापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एव पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, बस्तर जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 5/भू-अर्जन/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर जिला
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-सिरपुर, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.706 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75/3	0.627
	75/4	0.465
	76	0.222
	77, 78	0.141
	46/1	0.251
योग		1.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जुगानी नाला के उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक 11 अ 82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-कोलिहा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.632 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11	0.150
	12	0.150
	13	0.154
	14	0.178
योग	4	0.632

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2001

क्रमांक 12 अ 82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-डोंडा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.922 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.202
1/2	
2	
3	
4	
8	
7	0.186
10	0.202
11	0.219
32/3	0.113
योग 05	0.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2001

क्रमांक 13 अ 82-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भीमपुरी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.321 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/2	0.206
23	0.049
80/1	0.243
24/1	0.129
24/2	0.020
75	0.008
46	1.315
53/4	0.417
63	0.194
79/3	0.101
73/2	0.032
79/1	0.186
74	0.316
79/2	0.097
45/2	0.008
योग 15	3.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागय अधिकारी, (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक 1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-बघर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.623 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/2	0.134
111/3	

(1)	(2)
110/1	0.028
109/2	0.089
121/2, 123/2 ख, 124/3 ख, 126/2	0.283
121/3, 123/2 ग	0.089
योग 5	0.623

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ वि अ (रा) लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक 2 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-लोरमी
  (ग) नगर/ग्राम-बघनी भांवर
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.028
3	0.032
2/6	0.024
7	0.053
29/2	0.138
योग 4	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा.) लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 3 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-लोरमी
  (ग) नगर/ग्राम-कोसाबाड़ी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.927 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/2, 7/2, 14/2	0.182
39/8	0.065
6/4, 7/4, 14/4	0.097
6/14, 7/14, 14/14	0.040
22/4, 23/1	0.097

(1)	(2)
14/4	0.008
21	0.012
20/1	0.097
20/4	0.113
39/16	0.154
39/12	0.081
39/15	0.032
39/5	0.020
39/6	0.020
37/4	0.057
39/14	0.008
39/17	0.032
39/18	0.040
39/1	0.040
38/2	0.040
64	0.004
62	0.032
57/13	0.138
57/14	0.251
57/11	0.032
52	0.215
177	0.016
योग 23	1.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

क्रमांक 1 अ-82/2000-2001.—चूंकिं राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित) अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
239	0.324
253/1	0.040
253/4	0.016
योग 3	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिवनी-मरवाही पहुंच मार्ग हेतु सोन सेतु पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 08/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-लूफा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.092
47/1	0.149
34/3	0.162
70	0.024
67/2	0.162
68/2	
69/2	
71/2	
72/2	0.040
30/2	0.040
153/3	0.028
154/3	0.048
144	0.008
151/1	0.012
149/3	0.036
309/1	0.081
150	0.056
158	0.036
174	0.113
149/4	0.020
151/2	0.040
312/3	0.158
309/7	0.081
178/1	0.060
159/1	0.028
224/1	0.060
224/2	0.060
180	0.072
181	
184	0.040
226/1	0.032
221/2	0.081
218	0.101
220/3	0.060
307/3	0.012
307/4	0.048
308	0.157
309/3	0.028
योग	2.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चूनाखोदरा जलाशय का नहर कार्य.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक 01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-पुड्डू, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.509 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.793
31	0.526
32	0.154
39/1	0.129
39/3	0.093
39/5	0.466
37	0.405
38	
39/2	0.251
39/4	0.275
40	0.235
37	0.085
38	
44/1	0.012
44/2	0.028
44/3	0.028
56	0.028
योग	3.509

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पुडू जलाशय का डूबान एवं नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक 02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उपका एवं अटड्डा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.605 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371	1.651
395	0.559
396	0.230
392/4	0.397
392/3	0.405
327	0.202
407	0.352
408	0.243
409	0.162
410	0.364
411	0.146
409	0.016
328	0.065
329/1	0.065
330/1	0.025
331	0.048
332	0.093
280	0.008
281	0.044
272	0.097
271	0.016
282/1	0.012
282/2	0.012
310/1, 311/1	0.020
277	0.012
278	0.040
276/1	0.016
289	0.016
207, 213	0.028
288, 287/2	0.040
292	0.081
302	0.025
308	0.025
309/1	0.025
260	0.065
योग	5.605

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झोंका नाला जलाशय का डूबान एवं नहर कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 01/अ 82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलपान (छिरहाकापा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.748 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
421	0.045
422	0.049
423	0.040
426	0.049
427	0.040
430	0.057
879	0.040
431	0.045
879/2	0.061
1016/2 क	0.073
1016/2 ख	0.065
1016/4	0.073
1016/1	0.065
1016/3	0.077
877/3	0.020
916/2 915/4	0.138
915/1क 917/1 क	0.073
915/1 ख 917/1 ख	0.081
922/1 922/2	0.073
927/1	0.049
927/3	0.077
929	0.057
963/2	0.045
962	0.036
961/1	0.065
961/2	0.073
960	0.057
998/2	0.065
1006	0.036
1005 1007	0.024
योग	1.748

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 04/अ 82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.190 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
465/2	0.065
465/1	0.036
359/1	0.120
897	0.117
422	0.036
410	0.032
408	0.905
406/1 407/1	0.012
384/1	0.024
384/2	0.049
357	0.037
895	0.089
348	0.025
349	0.024
892	0.049
891	0.036
890	0.057
900/1	0.004
901/1	0.040
901/2	0.045
912/2	0.065
922/1	0.045

(1)	(2)
923	0.065
350	0.004
योग	1.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 01/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उमरिया, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145/1	0.040
144, 145/2	0.113
146/1	0.129
146/2	0.105
147/1	0.045
180	0.053
181	0.069
182	0.028
183/1	0.061
184/1	0.061
187/1	0.040
187/3	0.040
योग	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 02/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमने, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.727 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
94/1	0.113
165	0.129
164/1	0.040
164/2	0.081
162, 163	0.085
161/7	0.101

(1)	(2)
152	0.073
160	0.028
153 | 142/1	0.077
योग	0.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 03/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढनढन, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.770 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/1	0.037
118/2	0.097
119/1	0.097
119/2	0.004
122 | 123/1	0.125
160	0.073
126/4	0.053
126/1	0.065
126/5	0.037
157	0.028
107/2	0.037
107/4	0.049
137/1	0.057
144	0.089
143	0.057
142	0.004
158/1	0.061
167	0.057
170	0.016
166	0.004
168	0.032
174 | 186	0.053
184	0.045
183	0.008
189	0.020
187/2	0.004
188	0.012
190	0.037
191	0.037
236/3	0.012
235	0.148
234	0.012
237	0.283
247	0.012
236/2	0.012
योग	1.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 04/अ-82/92-94.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बरद्वार, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.198 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.008
203/3	0.012
45/3	0.028
47	0.036
48	0.073
196/2	0.008
45/2	0.032
76/1	0.036
76/5	0.004
190	0.061
77/1	0.040
77/3	0.020
80	0.032
79	0.032
78	0.040
371	0.057
204/1	0.028
204/2	0.032
202/1	0.057
202/2	0.012
456/7	0.028
197	0.061
196/1	0.028
198	0.036
456/15	0.004
455/2	0.032
456/19	0.073
456/20	0.040
456/8	0.036
456/9	0.004
456/13	0.057
456/16	0.053
456/18	0.053
455/1	0.040
योग	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान का निरीक्षण) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 08/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धवैहा,बेलपान, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.174 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/1 क/3	0.049

(1)	(2)
40/1 क/4	0.085
415	0.040
योग	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान का निरीक्षण) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 09/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवतरा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.797 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
46/1	0.025
44	0.025
43	0.036
42/1	0.032
40	0.073
10	0.085
11	0.069
8	0.005
9	0.040
6	0.036
14	0.056
16	0.214
17 18	0.097
26/1	0.016
26/2	0.016
389	0.016
27	0.040
390	0.012
29	0.073
167	0.081
174	0.040
175/1	0.178
187/2	0.020
398/9	0.049
187/1	0.016
401	0.012
13/3	0.012
379	0.005
373	0.016
393	0.020
388/1 388/2	0.069
169	0.152
398/10 398/11	0.065
398/12	0.024
398/13	0.024
योग	1.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 11/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दैजा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	0.110
114	0.073
113	0.024
112	0.024
1459	0.032
111	0.069
110	0.040
108	0.012
105	0.267
109	
107	0.008
103/1	0.057
योग	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक क भू-अर्जन/प्र. क्र. 12/अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलपान, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.006 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
515/1	0.121
516	0.283
517	0.036
500	0.049
499	0.032
465/2	0.061
546/1	0.065
546/2	0.138
543/2	0.049
544/2	
545/2	
550	0.036
565/4	0.020
486/2	0.032
497	
486/1	0.024
496	0.004
485	0.024
490	0.012
497	0.020
योग	1.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा जलाशय के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

प्रपत्र-II-ए
(भू-अर्जन नियमावली खण्ड-II कंडिका-17 जी)
(भू-अर्जन अधिनियम क्रमांक अड़तीस वर्ष 1923 के अनुसार संशोधित)

सरगुजा, दिनांक 26 दिसम्बर 2001

रा. प्र. क्र. 1 अ 82/2001-2002.—जबकि अधिनियम क्रमांक अड़तीस वर्ष 1923 द्वारा संशोधित भू-अर्जन अधिनियम एक, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 512, दिनांक 26-12-2001 में यह प्रकाशन कराया गया है कि ग्राम अजिरमा, रविन्द्रनगर, अजबनगर, कमलपुर, गणेशपुर, नैनपुर तहसील सूरजपुर, जिला-सरगुजा की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन विश्रामपुर से अंबिकापुर रेल लाईन विस्तार के लिये आवश्यकता होने की संभावना है.

एवं जबकि राज्य शासन का विचार है कि उक्त ग्राम की नीचे सूची में दशाई गई कृषि भूमि की तुरन्त आवश्यकता है और परिणामत: धारा 17 (4) तदैव (संशोधित) के अंतर्गत निर्देशित किया है कि धारा 5-ए तदैव के प्रावधान लागू नहीं होंगे.

एतद्द्वारा संशोधित धारा-6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि राज्य शासन को यह सन्तोष हो गया है कि उक्त भूमि की ऊपर लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

एतद्द्वारा धारा 17 (1) तदैव के अंतर्गत राज्य शासन यह निर्देशित करता है कि धारा 9 (1) तदैव के अंतर्गत सूचना प्रकाशन के 15 दिन समाप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि का कब्जा लिया जा सकता है.

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा	
			ख. क्र.	रकबा (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	सूरजपूर	1. अजिरमा	570	0.50
			589/2	0.07
			590	0.06
			592	0.05
			4	0.68
		2. रविन्द्रनगर	456	0.08
			457/2	1.77
			474	0.17
			476	0.07
			477	0.86
			478/3	0.04
			6	2.99

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. कमलपुर	161	0.28
			188	0.40
			189/2	0.29
			3	0.97
		4. अजबनगर	947	0.13
			1	0.13
		5. गणेशपुर	281	0.18
			1013	0.18
			1015	0.31
			1016	0.10
			4	0.77
		6. नैनपुर	362	0.08
			318	0.05
			335	0.05
			319	0.40
			320	0.12
			322	0.12
			321	0.01
			328	0.11
			329	0.17
			330	0.05
			331	0.13
			332	0.25
			333	0.03
			323	0.01
			336	0.02
			347	0.02
			337	0.01
			360	0.02
			361	0.09
			19	1.74
		कुल योग	37	7.28

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

Office of the Collector, Surguja and Ex-Officio Dy. Secretary Govt. of C.G.
Revenue Department

FORM II-A
(See paragraph 17-G)
Form of declaration under section G, Act 1 of 1894 as amended by Act No. XXXVIII of 1923

Surguja, the 26th December 2001

No.RCN 1 A-82/2001-2002.—Whereas by Revenue Department Notification No 512 Dated the 26-12-2001 it was notified, under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1 of 1894, as amended by Act No. XXXVIII of 1923 that land in mauza Ajirma, Ravindranagar, Ajabnagar, Kamalpur, Ganeshpur, Nainpur the Surajpur tahsil of the Surguja District was needed or was likely to be needed for a public purpose namely for the Extension of Railway line from Bishrampur to Ambikapur. And whereas the State Government consider that the land in the said mauza described in the schedule below, being waste/ arable land, is urgently required and has consequently directed, under section 17 (4) of the said Act, as amended, that the provisions of Section 5-A shall not apply thereto :

It is hereby declared, under Section 6 of the said Act, as amended, that the State Government is satisfied that the said land is needed for the public purpose stated above.

Under Section 17 (1) of the said Act, the State Government hereby direct that possession of the said land may be taken on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in Section 9 (1) of the Act :—

District	Tahsil	Village	Approximate area of the land	
			Plot No.	Area (Hact.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surguja	Surajpur	1. Ajirma	570	0.50
			589/2	0.07
			590	0.06
			592	0.05
			4	0.68
		2. Ravindranagar	456	0.08
			457/2	1.77
			474	0.17
			476	0.07
			477	0.86
			478/3	0.04
			6	2.99
		3. Kamalpur	161	0.28
			188	0.40
			189/2	0.29
			3	0.97
		4. Ajabnagar	947	0.13
			1	0.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Ganeshpur	281	0.18
			1013	0.18
			1015	0.31
			1016	0.10
			4	0.77
		6. Nainpur	362	0.08
			318	0.05
			335	0.05
			319	0.40
			320	0.12
			322	0.12
			321	0.01
			328	0.11
			329	0.17
			330	0.05
			331	0.13
			332	0.25
			333	0.03
			323	0.01
			336	0.02
			347	0.02
			337	0.01
			360	0.02
			361	0.09
			19	1,74
		Total	37	7.28

The pla of land may be inspected at the office of the Collector, Surguja (Ambikapur)

सरगुजा, दिनांक 9 फरवरी 2002

क्रमांक 01/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बंशीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
955/1	0.23
972	0.41
976	0.04
981/1	0.43
1113/1	0.64
1289/1	0.23
955/7	0.02
973	0.37
977/1	0.12
981/2	0.44
1114/1	0.58
955/17	0.02
975	0.07
977/2	0.10
984/1	0.19
1122/2	0.12
योग 16	4.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कल्याणी भूमिगत खदान के सड़क एवं बंकर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 01/अ 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
955	0.04
68	0.10
81	0.07
98	0.28
262/2	0.22
306	0.16
314	0.12
401	0.09
426	0.06
739	0.09
933	0.05
943	0.08
983	0.12
956	0.02
69	0.14
82	0.07
118	0.06

(1)	(2)
304	0.23
307	0.06
315	0.05
404	0.06
431	0.12
740	0.09
938	0.02
953	0.03
958	0.04
72	0.13
83	0.01
261	0.06
427	0.07
311	0.09
326	0.11
423	0.05
736	0.02
741	0.02
939	0.03
954	0.13
योग	3.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अर्चना जलाशय के अंतर्गत दांयी मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 15/अ 82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरगंवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.128 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.093
16/1	0.96
17/2	0.072
43	0.120
45	0.110
48/1	0.039
21	0.006
1/2	0.124
16/2	0.062
18/1	0.048
44/1	0.026
47/1	0.092
49	0.047
2	0.027
17/2	0.066
18/2	0.34
44/2	0.027
47/2	0.012
188/1	0.027
योग	1.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के नवापारा माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 26/अ 82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-कलगसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.441 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/1	0.061
65/1	0.036
61/1	0.028
138	0.085
140	0.028
162	0.053
60/3	0.059
167/2	0.038
44	0.202
60/2	0.059
66/1	0.037
169/1	0.049
43	0.032
163/2	0.077
139	0.061
167/1	0.038
170	0.049
47	0.121
166	0.081
66/2	0.012
143	0.036
141	0.028
67	0.077
235	0.008
163/1	0.041
42	0.045
योग	1.441

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के करेंया डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 48/अ 82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-नौगई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.542 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
173	0.053
180/1	0.028
190	0.032
231/6	0.008
181/1	0.069
180/2	0.029
189	0.017
172	0.177
185	0.042
184	0.034
231/5	0.053
योग	0.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के करेंया वितरक नहर के महुआटिकरा माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 69/अ 82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक 7 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-ससकालो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.378 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
144	0.057
124	0.008
96/4	0.032
95	0.045
160	0.053
23/7	0.053
145	0.057
126	0.180
96/3	0.105
96/2	0.093
152	0.097
26	0.259
127	0.061
51	0.004
94	0.004
92/1	0.016
23/8	0.113
159	0.141
योग	1.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करिया डिस्ट्री-ब्यूटरी के ससकालो एवं करिया माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 मार्च 2002

क्रमांक क/1/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-झापरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
122/2	0.183

	(1)	(2)
	123	0.275
	124	0.041
योग	3	0.499.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-शबरी सेतु हेतु पहुंचमार्ग निर्माण ग्राम झापरा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय सुकमा में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 मार्च 2002

क्रमांक क/02/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सुकमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.703 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1652	0.020
	1653	0.036
	1655	0.060
	1657	0.587
योग	4	0.703

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शबरी सेतु हेतु पहुंचमार्ग निर्माण ग्राम सुकमा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय सुकमा में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 मार्च 2002

क्रमांक क/01/अ-82/भू-अर्जन/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पोन्द्म, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1428	0.25
	1343	0.25
	1437	0.42
	1353	0.42
	1439	0.32
	1440	0.08
	1070	0.04
	1067	0.16
	1426	0.34
	1475	0.12
योग		2.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दंतेवाड़ा से कटेकल्याण पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी (पारा मुगुल भाटा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
169/1	0.55
185	0.05
186/38	0.02
169/3	0.03
169/4	0.13
169/2	0.03
169/5	0.13
170/5	0.03
183/9	0.03
168/11, 183/22	0.12
168/4, 183/15	0.03
168/12, 183/23	0.02
168/3, 183/14	0.08
168/7, 183/18	0.22
168/1, 183/3	0.02
181	0.02
168/2, 183/4	0.03
183/12	0.15
169/6, 170/15	0.20
योग 19	1.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-गोलाझर जलाशय का मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक 62/भू-अर्जन/अ-82/ 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 96
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
411/1	0.299

(1)	(2)
423	0.502
424	0.648
योग	1.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-विधान सभा हेतु हेलीपेड के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2001

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/सन् 98-99—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गंलाईपाली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
91/2 ख	0.178
99/1	0.745
134/2	0.895
68	0.106
66/1	0.510
68	0.106
85/1	0.067
67	0.898
64	0.214
65	0.599
61/2 ख	0.324
योग 10	4.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साका सुन्दरी जलाशय हेतु ग्राम गंवाईपाली.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 1-अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सहसपुर लोहारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
763/1	0.50
योग 1	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अस्पताल भवन निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 615/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-सीताडबरी, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.75 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.11
3	0.10
4/1	0.41
6/1	0.08
19	0.31
20	0.05
21	0.16
22	0.40
23	0.18
24	0.13
25	0.40
26	0.34
35	0.20
36	0.17
38	0.24
39/1	0.04
374	0.14
379	0.08
45/1	0.12
45/2	0.13
46	0.20
75/1	0.10
75/2	0.25
76	0.32
256/1	0.09
256/2	0.09
292/2	0.06
293/2	0.10
294	0.17
295	0.26
296	0.14
297/1	0.07
297/2	0.16
298/1	0.30
380/1	0.01
382	0.11
300	0.02
317/2	0.04
318	0.15
319	0.25
320	0.13
321	0.08
323	0.10
324	0.19
334	0.01
355/23	0.01
355/24	0.09
355/25	0.09

	(1)	(2)
	359	0.01
	361	0.27
	371/1	0.01
	373/1	0.14
	373/2	0.08
	373/3	0.01
	383/3	0.22
	384	0.04
	385	0.05
	402	0.16
	1242	0.10
	1244	0.08
	1245	0.07
	1246	0.08
	1247	0.05
योग	63	8.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 616/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-मैन्हर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	15	0.06
	33	0.08
	34	0.08
	35	0.05
	37	0.08
	42/1	0.14
	42/2	0.11
	42/3	0.07
	42/4	0.17
	42/5	0.01
	51	0.06
	52	0.08
	64	0.08
	121	0.06
	122	0.01
	266/1	0.06
	266/3	0.08
	266/4	0.05
	266/5	0.06
	266/6	0.05
	267	0.06
	271	0.09
	272	0.02
योग	23	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 617/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-पण्डरिया, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
545	0.09
546/2	0.13
546/5	0.13
556	0.08
557/2	0.08
727	0.73
730/1	0.13
730/3	0.13
योग 8	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 618/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-बुन्देली प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.38 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
360	0.17
373/1	0.08
375/1	0.09
382/2	0.06
384	0.18
391/1	0.07
391/2	0.15
391/3	0.02
392	0.04
399	0.13
400	0.09
403	0.30
योग 12	1.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 619/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-भरदा गोड़, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)	(1)	(2)
(1)	(2)	826/1	0.31
		827	0.03
304/1	0.01	829/3	0.17
314	0.06	837	0.24
315	0.06	838	0.05
317	0.14	845/1	0.45
318	0.11	845/2	0.10
319	0.19	845/4	0.13
322/1	0.45	845/6	0.08
323/2	0.04	846/2	0.05
323/3	0.32	847	0.30
324/1	0.01	848	0.43
324/2	0.28	854/1	0.07
325/1	0.07	854/6	0.15
332/5	0.27	855/4	0.90
374/1	0.01	856/2	0.19
374/2	0.02	867	0.24
374/3	0.03	868/1	0.30
375/1	0.08	869/1	0.28
375/2	0.33	869/7	0.04
605/2	0.07	870/1	0.13
608	0.28	870/2	0.08
609/1	0.08	870/3	0.30
609/3	0.08	888/4	0.40
656/1	1.38	889/3	0.10
666/1	0.17	889/1	0.18
672/1	0.20	890	0.06
672/2	0.23	891/2	0.34
672/3	0.18	891/3	0.34
674/3	0.44	891/4	0.11
698	0.26	891/5	0.13
707/3	0.04	892	0.22
708/3	0.60	893/1	0.24
709/3	0.34	893/2	0.17
710	0.33	893/3	0.20
715/1	0.50	894	0.10
715/2	0.26	897	0.05
715/4	0.55	898	0.05
787/1	0.32	900	0.60
788	1.10	902	0.10
793	0.55	953	0.14
796/1	1.25		
	योग	81	20.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जनवरी 2002

क्रमांक 620/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बिचारपुर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
192/4	0.01
205/2	0.21
207/1	0.18
207/2	0.17
208	0.08
210/1	0.11
263/5	0.08
263/7	0.07
263/8	0.06
264/2	0.13
264/3	0.22
264/4	0.17
279	0.18
280	0.20
283/1	0.17
283/2	0.22
284/1	0.02
384/2	0.02
300/1	0.04
300/2	0.04
300/3	0.11
310/1	0.11
311/2	0.20
313	0.07
316	0.02
317	0.02
318/2	0.03
319/1	0.06
319/2	0.05
320/1	0.18
338/1	0.06
338/2	0.02
339	0.09
450/5	0.22
450/6	0.22
451	0.03
454	0.18
456	0.04
457	0.07
459	0.01
460	0.05
466/3	0.02
468/1	0.31
310/3	0.17
468/2	0.18
484/2	0.05
490	0.23
492	0.02
493/1	0.06
493/2	0.06
493/3	0.06
493/4	0.06
493/5	0.06
497	0.07
498/1	0.33
501	0.03
502/1	0.01
503/3	0.19
503/4	0.15

(1)	(2)
502/5	0.08
530/1	0.08
530/2	0.10
531	0.42
532	0.07
533	0.32
534	0.01
536/1	0.07
536/2	0.04
536/4	0.01
536/5	0.01
547	0.06
548	0.01
549	0.06
562/1	0.10
562/2	0.11
563/1	0.22
564/7	0.05
590/1	0.23
590/2	0.10
590/3	0.10
590/4	0.17
590/7	0.04
योग 82	8.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जनवरी 2002

क्रमांक 1653/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिंगली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
609	0.26
857	0.28
856	0.11
योग 3	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेरमोती नाला डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जनवरी 2002

क्रमांक 1654/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-परसुली, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
002	0.20
3/1	0.14
118/2	0.12
11	0.66
113	0.03
114	0.12
130	0.37
112	0.25
111	0.15
121	0.11
120	0.05
124/1	0.37
131	0.20
180	0.13
181	0.13
129/1	0.37
योग 16	3.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमानेरमोती नाला डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, का (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जनवरी 2002

क्रमांक 1655/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
128	0.09
131	0.26
132/1	0.13
132/2	0.02
132/3	0.26
132/4	0.30
योग 6	1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेरमोती नाला डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

राजनांदगांव, दिनांक 4 मार्च 2002

क्रमांक 1910/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आरला, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
176	0.05
170/2	0.07
152/1-2	0.13

(1)	(2)
175/1	0.15
171/2	0.30
171/3	0.02
170/1	0.05
168/1	0.18
167/2	0.24
163/4	0.14
153/4	0.13
163/2	0.17
153/1	0.15
160/2-3	0.15
160/6	0.07
15/7	0.90
15/14	0.20
151	0.20
153/3	0.13
153/2	0.13
योग 20	3.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ व्यपवर्तन के अंतर्गत आरला उप-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, का कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 फरवरी 2002

क्रमांक 226/अ-82/सन् 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मुडखुसरा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
690	0.77
702	0.02
689	1.48
688	0.59
701/1	1.99
707	0.47
715	1.29
708	0.15
710	0.02
711	0.15
714	0.74
713/1	0.25
713/2	0.22
713/3	0.64
467/1	0.59
467/2	0.59
473	0.05
468	0.02
474	0.59
480	0.50
475	0.52
472	0.02
479/2	0.44
479/1	0.44
684	2.01
योग	14.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हड़गहन फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 495/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-भेंडरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1025	0.07
योग	1	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय भेंडरवानी माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 496/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-चिल्फी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75	0.23
	81	0.29
	85	0.20
	71/1	0.46
	80	0.33
	78	0.92
	83	0.80
	87	0.75
	86	0.12
	71/2	0.46
योग		4.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय डूबान में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 497/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-चिल्फी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.56 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	889	0.06
योग	1	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय नहर नाली में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2002

क्रमांक 527/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-पद्मी, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	535	0.07
	541	0.03
	789	0.09
	634	0.08
	681	0.02
	713	0.22
	780	0.24
	537	0.04
	576	0.07
	577	0.09
	621	0.03
	680	0.13
	677/1	0.04
	683	0.04
योग		1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हथमुडी व्यपवर्तन मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 मार्च 2002

क्रमांक 528/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-चिल्फी, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
648	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय ड्रेन नाली में अर्जित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक 1434/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.49 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1032	0.06
1033	0.02
1041/1	0.10
1042/1	0.03
1839/1	0.08
1042/2	0.07
1043	0.09
1046	0.20
1047	0.12
1048	0.01
1107	0.20
1106	0.25
1108	0.18
1109	0.07
1142	0.06
1141	0.13
1137	0.16
1140	0.06
1138	0.05
1139	0.01
1136	0.09
1132/2	0.01
1133/1	0.18
1133/2	0.03
1380	0.13
1381	0.45
1464	0.26
1465	0.19
1466	0.56
1838/1	0.07
1838/2	0.03
1847	0.09
1845/1	0.08
1848	0.28
1849	0.01
1836	0.03
1846	0.03
1110	0.02
योग 38	4.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक 1436/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-धोटवानी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.13
61/7	0.06
67	0.08
69	0.03
75	0.06
77	0.22
58	0.09
66	0.23
68	0.08
74	0.08
76/1	0.25
योग 11	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक 1438/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-हिरेतरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.80 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
624	0.41
876	0.15
793	0.28
794	0.20
805	0.32
884	0.03
795	0.04
880	0.10
801	0.08
798	0.13
799	0.19
803/1	0.03
803/2	0.14
804	0.30
806/2	0.14
883	0.03
868/1	0.02
869/1	0.02
869/3	0.01
869/2	0.12
870	0.18
871	0.01
872/1	0.04

(1)	(2)
872/2	0.19
874	0.06
875	0.11
877	0.45
878	0.22
879	0.66
881	0.10
882	0.04
योग 31	4.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला व्यवपवर्तन की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक 1440/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-घोठा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.49 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
133/1	0.05
133/2	0.14
216/1	0.13
221	0.32
256	0.12
258	0.11
317/1	0.06
259	0.04
274	0.05
312	0.06
271	0.16
272	0.04
273	0.10
270	0.01
269	0.12
268	0.10
266	0.19
282	0.06
330	0.02
329	0.03
328	0.09
316	0.25
284	0.08
285	0.01
315	0.03
325	0.01
359	0.40
360/2	0.08
361/2	0.05
364	0.03
310	0.11
311	0.09
275	0.01
283	0.15
280	0.01
318	0.05
317/2	0.07
306	0.06
योग 38	3.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला व्यवपवर्तन की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.